However, this relationship is not one which attracts the provisions of the Companies Act, 1956. As such, there is no question of taking any action for indulging in any illegal practice on this account.

Expansion of Goa Shipyard

2198. SHRI VASANT SATHE: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government have formulated a plan for expansion of Goa Shipyard during the Five Year for 1978-79 to 1982-83; and

(b) if so, details of the plan formulated/finalised and cleared by the Planning Commission and the order of investment likely to be available for execution of the proposal during 1979-80 and the progress reported for 1978-79?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (PROF. SHER SINGH): (a) and (b). The Government have not formulated any specific expansion scheme for Goa Shipyard for the Five Year Plan from 1978-79 to 1982-83. However, schemes have been sanctioned for augmenting facilities as and when required. Currently, the Goa Shipyard is implementing a project for creating additional facilities such as construction of fitting-out jetty, dredging, expansion of Assembly Bay, etc.

Joint ventures with Australia

2199. SHRI MADHAVRAJ SCINDIA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the talks with regard to setting up joint ventures with Australia in mining was discussed with the Prime Minister of that country during his recent visit; and

(b) if so, details therein and outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) and (b). The subject was discussed with the Australian Prime Minister during his recent visit to India. The discussions were essentially of a preliminary nature and nothing concrete has emerged as yet.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नए पदों के लिए वित्त मंत्रालय से स्वीकृति मांगा जाना

2200. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने नये पदों को बनाने के लिए स्वीकृति मांगी थी जिनका वेतन 1500 रुपए से अधिक है;

(ख) उन पदों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए वित्त मंत्रालय ने स्वीकृति दी;

(ग) कितने मामलों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सर्विस इन्सपेक्शन यूनिट की मदद चाही थी;

(घ) क्या ऐसी मदद दी गयी थी और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सर्विस इन्सपेक्शन यूनिट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वाणिज्यिक केन्द्रों का निरीक्षण किया था और यदि हां, तो निरीक्षण का क्या परिणाम निकला ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) गत दो वर्ष के दौरान न्यूनतम 1500 रुपए और इससे अधिक प्रतिमास के वेतन वाले 14 नए पद सृजित किये गये थे । इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) और (घ) सात । संलग्न विवरण में क्रम संख्या 5 से 11 तक के सम्मुख निर्दिष्ट पद वित्त मंत्रालय की स्टाफ निरीक्षण यूनिट की सिफारिश पर मंजूर किए गए थे और एक पद (क्रम संख्या 1) इस मंत्रालय की इंटर्नल वर्क स्टडी यूनिट की सिफारिश पर सृजित किया गया था । शेष पदों के सृजन के लिए इसकी सहायता नहीं मांगी गई थी ।

(ङ) स्टाफ निरीक्षण यूनिट ने आकाशवाणी के वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्रों का निरीक्षण नहीं किया है । तथापि, उसने दूरदर्शन के सात वाणिज्यिक केन्द्रों का निरीक्षण किया है और इसकी रिपोर्ट सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है । उसको कार्यान्वित करने की कार्रवाई चल रही है ।